

न्याय
अदालत
दफ्तर
में
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :- 142/2020 प्रा0पत्र

मिगलान सिंग वैनु जाटि हरिजन उग्र गलीग निपामी करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

महबुबाल सिंग नारायण लाल जाटि हरिजन उग्र गलीग नि० करेडा

व उग्र

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 06/04/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम ...करेडा... पटवार हल्का ...करेडा... तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त गे खाता संख्या...171 आराजी नम्बर..... 8477/7620..... कुल रकबा...04.05 बीघा... हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी प्रा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक...14/04/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी ग अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... करेडा..... पटवार हल्का... करेडा... तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या आजी नम्बर..... 8477/7620..... कुल किता 01..... 04.05 बीघा हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक... करेडा... को 800/- रुपये कमिश्नर फीस पर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

प्रार्थी के पत्र की प्रतिलिपी



उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेडा
करेडा जिला भीलवाडा

:- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा